[श्री रबी राय]

नारायण जी से माफी मांगें कि इस तरह का व्यवहार 15 मई को उनके साथ किया गया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2-30 p. M.

The House then adjourned for lunch at twenty-nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes Past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR) in the Chair.

REFERENCE TO EXTERNMENT ORDERS SERVED ON SHRI RAJNARAIN

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Legislative business. Mr. Brahmananda Reddy.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मुझे एक अपना स्पष्टीकरण करना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : अब तो लेजिस्लेटिव बिजनेस प्रारम्भ हो गया है।

श्री राजनारायण : यह तो उसी समय होना चाहिए था, लेकिन डिप्टी चेयरमैन साहब ने सदन को स्थगित कर दिया इसलिए यह रह गया। यह उस समय का बाकी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आप को परमीशन भी तो नहीं थी।

श्री राजनारायण : यह बुलेटिन तो आप के सचिवालय ने निकाला है कि राजनारायण 60 दिन के लिए बिहार से निकाले गये। ऐसा नहीं है। श्रीमन्, देखा जाय कि मैं मुक्तभोगी हूं और एक मुक्तभोगी अपना स्पष्टीकरण देने का मौका न पाये सदन में, इस से तो सदन की गरिमा खत्म होती है। इसलिए मेरा विनम्रता के साथ निवेदन है कि मेरी यह बात सुन ली जाय कि आज बिहार की सरकार किस तरह से जनतंत्रीय प्रणाली को तोड़ रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : इसमें बिहार कहां है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, देखिये यह 6 जून का बुलेटिन है—राज्य सभा के सदस्य श्री राजनारायण को भारतीय रक्षा नियम 1971 के अधीन दिये गये आदेश। राज्य सभा के सदस्य श्री राजनारायण को भारतीय रक्षा नियम 1971 में दिया गया आदेश। बिहार सरकार, पटना से राज्य सभा के सभापति को संबोधित दिनांक 5 जून 1974 को निम्नलिखित टेलीप्रिंटर संदेश प्राप्त हुआ है। तो राज्य सभा के सभापति को यह प्राप्त हुआ है। राज्य सभा के सभापति ने अपने सचिवालय से हर माननीय सदस्य को भेजा है। यह क्यों हुआ? कैसे हुआ? हमारा अधिकार है, हम इस सदन के सदस्य हैं, कि हम इस आदरणीय सदन के सदस्यों को बतायें कि हमारे साथ क्या क्या ज्यादती हुई है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आप इसके लिए चेयरमैन महोदय की परमीशन लेकर बोलिए।

श्री राजनारायण : इस में चेयरमैन का प्रश्न ही नहीं है। इस से पहले भी यह हुआ था तो हम उनसे कहने गये थे। उन्होंने कहा था कि जब बुलेटिन आयेगा तो आप बोलियेगा। यह बुलेटिन जब आया तो उस वक्त हम बोल रहे हैं। तो मेरा कहना है कि 5 अप्रेल को 60 दिन के लिए हम निकाले गये।

श्री ऋषि कुमार मिश्र (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष जी, आपने यह आदेश दे दिया है कि चेयरमैन महोदय की आज्ञा लेने के बाद जो समय चेयरमैन महोदय निश्चित करेंगे उस समय इस विषय पर माननीय सदस्य बोलें। आप के इस आदेश के बावजूद माननीय सदस्य बराबर बोलते चले जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। जब आप ने यह आदेश दे दिय कि चेयरमैन की आज्ञा

लेने के बाद जो समय वह निश्चित करेंगे उस समय वह अपना वक्तव्य दे सकते हैं, उस के बाद माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिए आप के आदेश के अनुसार ।

श्री राजनारायण : इनके पाइन्ट आफ आर्डर का मैं जवाब दे रहा हूं ।

श्री ऋषि कुमार मिश्र : यह तो सभापति जी निर्णय करेंगे कि पाइन्ट आफ आर्डर सही है या नहीं ।

श्री राजनारायण : ये अब नये पार्लियामेंटेरियन हैं । श्रीमन्, राज्य-सभा के सचिवालय ने सदन के सम्मानित सदस्यों के पास यह बुलेटिन भेजा है । यह बुलेटिन सदन में है और इसके संबन्ध में काल अटेंशन के बाद चर्चा होती है । काल अटेंशन के बाद डिप्टी चेयरमैन साहब चेयर पर थे, उन्होंने सदन स्थगित कर दिया । इसके बाद अब यही समय है कि इसके बारे में चर्चा हो सकती है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : यह तो कल विषय आ सकता है ।

श्री राजनारायण : इस पर तुरन्त बहस होनी चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): राजनारायण जी आप तो सदन की व्यवस्था मानने वाले हैं ।

श्री राजनारायण : जी, मैं सुरीति और सुशोभा को मानता हूं। मैं सुरीति और सुशोभा को समझता हूं, इसीलिये मैं कह रहा हूं कि आज ही वह अवसर है कि सदन के सदस्य को यह हक प्राप्त होना चाहिए कि वह बताये कि कैसे उसको निष्कासित किया गया ।

श्री ऋषि कुमार मिश्र : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मेरा पाइन्ट आफ आर्डर सुन लिया और माननीय सदस्य का पाइन्ट आफ आर्डर सुन लिया । क्या इनके लिए यह उचित है कि आप बोलते चले जायें जब कि आपने निर्णय दे दिया है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : मैंने पहले ही राजनारायण जी से निवेदन किया था कि चेयरमैन साहब से परमीशन लेकर यह विषय उठायें ।

श्री राजनारायण : यह कोई काल अटेंशन नहीं है । आपके सचिवालय का बुलेटिन है, मेरे घर का बुलेटिन नहीं है । मैं कोई नया विषय इंट्रोडयूस नहीं कर रहा हूं चेयर की इजाजत के बिना । यह हमारा इनहैरेंट राइट है । जब मैं उस बार निकाला गया था तो उस पर भी पार्लियामेंटरी प्रोसेस के जो बच्चे हैं उन लोगों ने सवाल उठाया था । मगर चेयर ने कहा कि राजनारायण जी को हक है । मुझे याद है कि उस समय चन्द्रशेखर भी मौजूद थे । उन्होंने भी कहा था कि इस समय मौका नहीं देंगे तो कब दिया जाएगा ।

श्री ऋषि कुमार मिश्र : माननीय सदस्य का अधिकार हम स्वीकार करते हैं कि अगर ये कोई भी वक्तव्य देना चाहें तो निश्चित रूप से दे सकते हैं, लेकिन आपके इस आदेश के बाद कि चेयरमैन महोदय की आज्ञा ले लें, वह जो समय निश्चित कर दें उस समय दें, इनका बोलना कहां तक उचित है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आप दो मिनट में समाप्त कर दीजिये ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह देखें कि बिहार में किस तरह से जनतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, संसदीय परम्पराओं की हत्या हो रही है । जब कि 5 अप्रैल को मुझे 60 दिन के लिए बिहार से निष्कासित किया गया था तो इस सदन के विरोधी दलों और सत्ताधारी दल के लोगों ने भी कहा था कि संसद् का सदस्य जो कि इस देश के कौने कौने में आने जाने का पास रखता है उसको किसी राज्य में न जाने देने के लिए प्रतिबंधित करना, यह उसके मौलिक अधिकार की हत्या है, संविधान की हत्या है, उसके फंडामेंटल राइट्स

की हत्या है । उसके बाद भी मैं पहली तारीख को चीफ मिनिस्टर को तार देता हूं और पहली जून को पटना पहुंचता हूं। मैं पहली तारीख को अपर इंडिया से वहां पहुँच गया। 2 तारीख को आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी बंगलौर से वहां पहुंचे। हम हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए गये। गफ्फूर साहब भी वहां थे। उन्होंने मुझसे कहा कि नाऊ यू आर फ्री मैन, यू कैन गो वैहर ऐवर यू लाइक। वह आर्डर खत्म होता है 3 तारीख को 12 बजे रात। मगर चूंकि मैं दो तारीख को वहां था, इसलिए उनकी पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा आप यहां कब तक रहेंगे ? आपको तो बारात में आने की इजाजत दी गई है। हमने कहा कि गफ्फूर साहब से बात कर लीजिए टेलीफोन पर। गफ्फूर साहब ने कहा कि यह जो पुलिस पहुंची है, यह नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश करता हूं। हमने कहा कि मैं तो कल जा रहा हूं आसनसोल, कल आपका आर्डर खत्म होता है। मगर जो आपने हमसे कहा वह बात आपकी पुलिस और आपके मजिस्ट्रेट नहीं मान रहे हैं। तो क्या चीफ मिनिस्टर की बात चलेगी, क्या आपके चीफ सेक्रेटरी की बात चलेगी, डिस्ट्रिक्ट की बात चलेगी ?

दो तारीख के रोज मैं आसनसोल पहुंचा और 4 तारीख को एक बजे के करीब उनका आर्डर हम को मिलता है कि 60 दिन के लिए 4 जून से बिहार राज्य में न आने दिया जाए। इसकी भाषा इस प्रकार है। निष्कासन आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आदेश जारी किए जाने के 60 दिन तक इस राज्य में प्रविष्ट न होने, निवास न करने अथवा न रहने का आदेश दिया जाए श्री राजनारायण को 14 जून, 74 को आदेश दिया गया।

श्रीमन्, अब मेरा निवेदन यह है कि आप इस सदन के कस्टोडियन हैं, आप हमारे अधिकार के रक्षक हैं, आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए। बिहार में आन्दोलन हो रहा है, पापुलर मूवमैंट चल रहा है। आज श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी ए० आई० सी० सी० में बैठ कर....

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): How can he say all these things ?

श्री राजनारायण : बिहार के आन्दोलन को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। बिहार विधान सभा भंग होगी इसको कोई रोक नहीं सकता। यह मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : राजनारारण जी आपने दो मिनट कहे थे, आपके वह दो मिनट पूरे हो चुके हैं। (*interruption*)

श्री ऋषि कुमार मिश्र : माननीय उपसभाध्यक्ष जी आपने माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति दी थी। परन्तु इन्होंने न केवल इस सदन के समय का दुरुपयोग किया बल्कि आपने जो अनुमति दी उसका भी दुरुपयोग करके यहां पर राजनीतिक बहस आरम्भ कर रहे हैं। अगर आपकी अनुमति का इस प्रकार दुरुपयोग होगा तो कैसे काम चलेगा ? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इनका वक्तव्य समाप्त कराइए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : अब आप समाप्त करिए।

श्री राजनारायण : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं (*Interruption*) आज जो लोग यह कहते हैं कि संविधान की रक्षा, संसदीय परम्परा की रक्षा बिहार के आन्दोलन से नहीं हो रही है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार इस तरह से एक संसद के सदस्य को, देश के नागरिक को अपने राज्य में 60 दिन तक, बल्कि 60 दिन से 120 दिन तक न जाने का आदेश देती है उस सरकार को एक पल भी टिकने का मौका नहीं देना चाहिए। उस विधान सभा को एक दिन भी कायम नहीं रहने का मौका देना चाहिए। इसलिए मैं आज जयप्रकाश जी को मुबारकबाद देता हूं, बिहार की जनता को मुबारकबाद देता हूं,

वहां के छात्रों को मुबारकबाद देता हूं कि वे इस आन्दोलन को कामयाब बनाएं । डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि बिहार की सरकार या इन्दिरा नेहरू गांधी की सरकार को कोई हक नहीं है कि मुझे बिहार जाने से रोक सके । मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा । आज भी जा सकता हूं और कल भी जा सकता हूं । इस रद्दी आदेश की मैं धज्जियां उड़ाता हूं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह एक बेहूदा और गैर-जिम्मेदाराना आदेश है इसे फेंका जाना चाहिए । इसलिए मैं इसको फेंक रहा हूं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बिहार जाऊंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता ।

(*Interruptions*)

SHRI P. L. KUREEL URF TALIB (Uttar Pradesh): If he does not sit down, all of us will speak together. This is not in keeping with the dignity of the House.

श्री राजनारायण : मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार यह आदेश वापिस ले । मैं उसके आदेश की धज्जियां उड़ा कर बिहार भी जाऊंगा, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा सब जगह जाऊंगा ।

SHRI P. L. KUREEL URF TALIB: What is this, Sir? *(Interruptions).* What is it that he is talking?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Yes, Mr. Brahmananda Reddy.

SHRI P. L. KUREEL URF TALIB: What is it that he is talking ? This should not be allowed. *(Interruptions).* This is not a village panchayat. This is a dignified House. Therefore, this rubbish should not be allowed. Mr. Rajnarain, I know what you are and what you are going to be. This is neither a panchayat nor your party.

श्री राजनारायण : आप तो हमारी पार्टी में रहे हैं · · · (*Interruptions*) आप जाइये, अपना मकान बेचिये, किराया खाइये । रबिश । हमारी पार्टी ने आपको यहां भेजा है । आपको हमारी पार्टी ने निकाला । आपने पार्लियामेंट का मकान किराये पर दे रखा है ।

SHRI P. L. KUREEL URF TALIB : It is all wrong. You are neither the leader of the S.S.P. nor of the BKD. You are just an ordinary member of the BKD.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Yes, Mr. Reddy.

श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ तालिब : मैं केन्द्रीय एसेम्बली में तब था जब आपकी राजनीति का जन्म भी नहीं हुआ था ।

श्री राजनारायण : आपने मकान किराये पर दिया, इसलिए हमारी पार्टी से निकाले गये ।

श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ तालिब : आप एस० एस० पी० पार्टी में नहीं हैं और न मुझे कभी पार्टी से निकाला गया ।

श्री राजनारायण : मैं यहां पर इंडिविजुअल हूं । एस० एस० पी० भी हूं बी० के० डी० भी हूं और प्रगति दल भी हूं ।

THE INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL, 1974

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI K. BRAHMANANDA REDDY): Sir, this is a very short Bill seeking to amend the Indian Telegraph Act of 1885. If the honourable Members had glanced through the Statement of Objects and Reasons, they would have noticed, Sir, what the Bill seeks to do.

In 1967, the Posts & Telegraphs Department had decided that all applications for telephone connections be charged Rs. 10. Prior to that, the practice was that any member of the public could apply any number of times to the postal authorities I for registering his case. So, Sir, it be-came very difficult for the Department to I analyse actually the position and see how